सिक्किम विश्वविद्यालय

दिनांक 15 जून 2018 को सुबह 11:00 बजर एआईयू, नई दिल्ली के बैठक कक्ष में आयोजित वित्त समिति की 19 वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 15 जून 2018 को सुबह 11:00 बजर एआईयू, नई दिल्ली के बैठक कक्ष में वित्त समिति की 19 वीं बैठक का आयोजन किया गया था।

उपस्थित सदस्य :

1. प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग कुलपति (कार्यवाहक) – अध्यक्ष
2. डॉ. धनपट आर. अगरवाल – सदस्य [कोर्ट द्वारा नामित]
3. प्रो. अशोक के. दत्ता – सदस्य [ईसी द्वारा नामित]
4. श्री एम. जी.किरण – सदस्य [ईसी द्वारा नामित]
5. श्री जी.सी. होसुर [विजिटर द्वारा नामित] – सदस्य [श्री सूरत सिंह, उप स (उ.शि.एवं केवि) एमएचआरडी द्वारा प्रतिनिधित्व
6. श्रीमती दर्शना एम. डबराल [विजिटर द्वारा नामित] (आईएफ़डी), – सदस्य, श्री फजल मदमूद, उप सचिव एमएचआरडी द्वारा प्रतिनिधित्व
7. डॉ. जितेंद्र के. त्रिपाठी [विजिटर द्वारा नामित] – सदस्य
8. श्री टी.के.कौल [कुलसचिव] – विशेष आमंत्रित
9. श्री देवाशीष पाल [वित्त अधिकारी] – सचिव

बैठक के लिए कोरम पूरा हो चुका था। अध्यक्ष ने बैठक शुरू करने की घोषणा की।

समिति ने वित्त समिति के नए सदस्य के रूप में सिक्किम विश्वविद्यालय की प्रथम कोर्ट द्वारा नामित डॉ. धनपत आर. अगरवाल, निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थान, कोलकाता का स्वागत किया।

कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता समाप्त होने पर वित्त समिति में प्रो. चेतन सिंह की सदस्यता समाप्त हो जाती है। समिति ने उनके बहुमूल्य अवदान को अभिलेखित की और समिति को सूचित किया गया था की प्रो. अशोक के. दत्ता और श्री एम.जी. किरण का कार्यकाल दिनांक 10 अगस्त 2018 को समाप्त हो रहा है।

समिति ने एक के बाद एक एजेंडा मदों पर चर्चा शुरू की।

<u>खंड -1</u>
<u>कार्यवृत्त की संपुष्टि और कार्रवाई रिपोर्ट</u>

एफ़सी 19.1.1: दिनांक 24 नवंबर 2017 को आयोजित वित्त समिति की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 24 नवंबर 2017 को आयोजित वित्त समिति की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 11 दिसंबर 2017 को वितरित किया गया था। समिति के किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

वित्त समिति की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

एफ़सी 19.1.2: दिनांक 26 मार्च 2018 को आयोजित वित्त समिति की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 26 मार्च 2018 को आयोजित वित्त समिति की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त को दिनन 4 अप्रैल 2018 को सभी सदस्यों को भेजा गया था। समिति के किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

वित्त समिति की 18वीं बैठक को जेएस एंड एफ़ए (आईएफ़डी) एमएचआरडी तथा जेएस (सीयू) एमएचआरडी से निम्नलिखित टिप्पणी के शर्त पर पुष्टि की जाती है।

जेएस एंड एफ़ए (आईएफ़डी) एमएचआरडी के प्रतिनिधित्व करनेवाले श्री फजल महमूद, उप सचिव (आईएफ़डी) ने एमएचआरडी की राय को दोहराया कि उल्लेखित के अनुसार कुछ कर्मचारियों को दी गयी मकान किराए में सहायता/सबसिडी को संबन्धित कर्मचारी से वापस लिया जाना चाहिए। डॉ. जे.के. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव (केवि), यूजीसी और श्री सूरत सिंह, उपसचिव (उ.शि और केवि), एमएचआरडी ने श्री महमूद के मत को पृष्ठांकित किया।

डॉ. डी. आर. अगरवाल ने स्वीकार किया कि विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी के निर्णयों तथा मकान मालिकों, कर्मचारियों और विश्वविद्यालय के साथ त्रिपक्षीय अनुबंध के आधार पर कुछ कर्मचारियों को मकान किराए में सहता/सब्सिडी का लाभ उपलब्ध कराया गया था। उनके अनुसार ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है और उसके बाद लाभों को वापस लेने पर पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन भविष्य और प्राकृतिक न्याय के कानूनों को यहां लागू किया जाना चाहिए। उसी प्रकार, अंतिम निर्णय लेने से पहले त्रिपक्षीय अनुबंध के नियम एवं शर्तों तथा इसके वैधानिक पहलुओं की भी समीक्षा करनी चाहिए। प्रो. अशोक दत्ता और श्री एम.जी.किरण ने डॉ. अगरवाल के मत को समर्थन किया।

एफ़सी 19.1.3: दिनांक 24 नवंबर 2017 को आयोजित वित्त समिति की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट

सचिव ने दिनांक 24 नवंबर 2017 को आयोजित वित्त समिति की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने विश्वविद्यालय की कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया।

एफ़सी 19.1.4: दिनांक 26 मार्च 2018 को आयोजित वित्त समिति की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट

सचिव ने दिनांक 26 मार्च 2018 को आयोजित वित्त समिति की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने विश्वविद्यालय की कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया।

खंड -2
सूचनात्मक विषय

एफ़सी 19.2.1: दिनांक 31 मार्च 2018 के अनुसार अनुदानों की उपयोगिता

समिति ने दिनांक 30 सितंबर 2018 के अनुसार अनुदानों की उपयोगिता की प्रगति को नोट किया।

एफ़सी 19.2.2: 31 मई 2018 के अनुसार यूजीसी के निर्धारित प्रारूप में भवन परियोजना के लिए बारहवीं योजना व्यय और वर्ष 2017-18 के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के तहत प्राप्त अनुदान

समिति ने दिनांक 31 मई 2018 को भवन परियोजना व्यय को नोट किया और संयुक्त सचिव (केवि), यूजीसी ने सूचित किया कि यूजीसी निधि उपलब्ध होने पर पूंजीगत परिसंपत्ति मद के अंतर्गत निधि प्रदान करेगा।

एफ़सी 19.2.3: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शेष लेखा परीक्षा पैरा पर रिपोर्ट

समिति ने विश्वविद्यालय की नवगठित स्थायी लेखा परीक्षा समिति के कार्य संचालन और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेजे गए उत्तरों को नोट किया।

खंड -3
अनुसमर्थित विषय

एफ़सी 19.3.1: वार्षिक लेखा 2016-17 और पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2016-17

समिति ने वार्षिक लेखा 2016-17 और पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2016-17 का अनुसमर्थन किया।

खंड -4
विचारार्थ और अनुमोदनार्थ विषय

एफ़सी 19.4.1: वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक लेखा

समिति ने वर्ष 2017-18 की वार्षिक लेखा को अनुमोदित किया और अध्यक्ष को नियंत्रक और महालेखा निरीक्षक के सुझाव के आधार पर तथ्यों और आंकड़ों, अगर कोई हो, को शामिल करने, के लिए अधिकृत किया तथा कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन हेतु वार्षिक लेखा 2017-18 कि सिफ़ारिश की।

एफ़सी 19.4.2: नए परिसर के चरण-1 के पैकेज- 1 के चल रहे निर्माण के लिए लिए अतिरिक्त प्रावधान

निर्माण परियोजना :

नोट किया गया : यह सूचित किया जाता है कि यूजीसी विशेषज्ञ समिति ने दिनांक 10 मई 2018 को यांगयांग में परिसर स्थल का दौरा करने के बाद नए परिसर निर्माण परियोजना से संबन्धित सभी मुद्दों सहित इसकी रिपोर्ट यूजीसी को सानुनपि। डॉ. त्रिपाठी ने भी सूचित किया कि समिति की रिपोर्ट को एमएचआरडी को अग्रेषित किया गया है।

एफ़सी 19.4.3: दिनांक 1 जून 2018 को आयोजित भवन समिति की 10वीं बैठक की सिफ़ारिश

नोट किया गया : श्री फजल महमूद, उप सचिव (आईएफ़डी), एमएचआरडी और संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलहकार (आईएफ़डी), एमएचआरडी के प्रतिनिधि ने दिनांक 24 नवंबर 2017 को आयोजित वित्त समिति की 17वीं बैठक में एजेंडा मद सं एफ़सी:17:04 में नोट किए जाने के लिए अनुसार नए परिसर के निर्माण से संबन्धित अपने मतों को दोहराया।

समिति ने मामले को एमएचआरडी में उठाने के लिए सुझाव दिया।

एफ़सी 19.4.4: पूर्व कुलपति के क्वार्टर के लिए नेहु को देय अनुज्ञा शुल्क

पूर्व कुलपति द्वारा प्रतिधारित क्वार्टर के लिए नेहु को देय अनुज्ञा शुल्क के भुगतान के मामले केंद्र सरकार के नियम एवं विनियमों द्वारा प्रशासित होगा।

एफ़सी 19.4.1: वर्ष 2018-19 के लिए नई पूंजीगत परिसंपत्ति परियोजना और वर्ष 2018-19 के लिए वेतन और आवर्ती मदों के लिए निधि

समिति ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए चालू वित्तीय वर्ष में वर्ष 2018-19 के लिए पूंजीगत परिसंपत्ति मद के तहत अतिरिक्त अनुदान के साथ-साथ पूंजीगत परिसंपत्ति मद के अंतर्गत रु. 28 करोड़ (25 करोड़ + 3 करोड़) की स्वीकृत राशि प्रदान करने कि सिफ़ारिश की है।

डॉ. जे.के.त्रिपाठी, संयुक्त सचिव (केवि), यूजीसी ने सूचित किया है कि यूजीसी वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट चर्चा के समय अनुदानों को प्रदान करने पर विचार करेगा।
अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

हस्ता./-
(प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग)
कुलपति (कार्यवाहक)
एवं अध्यक्ष, वित्त समिति

हस्ता./-
(देवाशीष पाल)
वित्त अधिकारी
एवं सचिव, वित्त समिति